यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजीव कुमार एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.01.2021 से 23.01.2021 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.03.2020 से 19.03.2020 एवं 23.05.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** सम्पूर्ण देहरादून जनपद के खनन सम्बन्धी संक्रिया ।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**: विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	4835.47
2018-19	5880.76
2019-20	4560.52

(ब) **बजट का विवरण:** विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
↓
अपर सचिव
↓
निदेशक
↓
अपर निदेशक
↓
संयुक्त निदेशक
↓
उप निदेशक
↓
खान अधिकारी
↓
खान निरीक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में देहरादून जनपद में खनन सम्बन्धी अभिलेखों की जांच को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन:

राजस्व: माह 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन: लागू नहीं।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 अ

प्रस्तर-1: ईट भट्टों के संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 67.80 लाख।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के पत्रांक- 1754/VII-1/24-ख/07 टीसी देहरादून दिनांक 8 दिसम्बर 2016 द्वारा ईंट की रॉयल्टी की दर रू0 100/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के पत्रांक 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टे से न्यूनतम 15 पाये हेतु 20 लाख ईट उत्पादन का मानक निर्धारित करते हुए और प्रति पाया 1.00 लाख ईट अतिरिक्त मानते हुए गणना करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 मे ईट भट्टों द्ववारा (संलग्न सूची में दर्शित 12 भट्टा) उत्पादित ईट (पाये के अनुसार) के सापेक्ष क्रमश: रू0 33,90,000/- एवं रू0 33,90,000/- रॉयल्टी जमा नहीं की गयी थी, जिस के कारण विभाग को रू0 67,80,000/- की राजस्व क्षति हुई।

उक्त को इंगित करने पर विभाग के संज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि ईट भट्टो की सूची के सम्बन्ध में पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाया जाएगा, जनपद में मात्र तीन ईट भट्टे स्थापित है। कोरोना काल में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच में तीन ही भट्टे पाए गये थे जो बंद थे। स्थलीय जांचोपरांत आख्या से प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत लेखा परीक्षा में भी भट्टा संचालको से रॉयल्टी की वसूली ना किये जाने संबंधी प्रकरण इंगित किया गया था जिसके सापेक्ष उत्तर में इकाई द्वारा में बताया गया था कि शीघ्र ही वसूली कर ली जाएगी। वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है । आगे इकाई की लेखा परीक्षा वर्ष 2019 -20 की गयी है न कि वर्ष कोरोना काल 2020 -21 की।

अत: ईंट भट्टा संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 67.80 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

ईट पर देय रायल्टी का विवरण (2018-19 and 2019-20)

क्र.सं.	ईट भट्टा स्वामी का नाम	वर्ष	निर्धारित मानक के अनुसार ईंट का उत्पादन	देय रॉयल्टी की धनराशि ₹100 प्रति 1000 ईट
1.	गुप्ता ब्रिक क्लीन विकासनगर (25 पाये)	2018-19	30,00,000	300000
		2019-20	30,00,000	300000
2.	राकेश ब्रिक यूनिट-1 मेहूवाला माफी (22 पाये)	2018-19	27,00,000	270000
		2019-20	27,00,000	270000
3.	अशोक ब्रिक टर्नर रोड (19 पाये)	2018-19	24,00,000	240000
		2019-20	24,00,000	240000
4.	दुग्गल ब्रदर्स पित्थुवाला (25 पाये)	2018-19	30,00,000	300000
		2019-20	30,00,000	300000
5.	बत्ता ब्रदर्स प्रो0 रमेश चन्द बत्ता मेहूवाला माफी (23 पाये)	2018-19	28,00,000	280000
		2019-20	28,00,000	280000
6.	शिवालिक ब्रिक लांघा रोड (19 पाये)	2018-19	24,00,000	240000
		2019-20	24,00,000	240000
7.	सिंगल ट्रेडर्स बंशीवाला (24 पाये)	2018-19	29,00,000	290000
		2019-20	29,00,000	290000
8.	अमर संस प्रो0 सुरेन्द्र कुमार तुन्तोवाला (20 पाये)	2018-19	25,00,000	250000
		2019-20	25,00,000	250000
9.	विकास ब्रिक फील्ड प्रो0 हरबंस बत्ता मेहूवाला माफी (25 पाये)	2018-19	30,00,000	300000
		2019-20	30,00,000	300000
10.	जे0 पी0 गर्ग एण्ड कम्पनी सेलाकुई (25 पाये)	2018-19	30,00,000	300000
		2019-20	30,00,000	300000
11.	अमरचंद बत्ता पित्थूवाला (25 पाये)	2018-19	30,00,000	300000
		2019-20	30,00,000	300000
12.	राकेश ब्रिक मेहूवाला (27 पाये)	2018-19	32,00,000	320000
		2019-20	32,00,000	320000
			योग	67,80,000

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-2: खनिज की निर्धारित मात्रा से कम निकासी के कारण ₹94.64 लाख की राजस्व क्षति एवं पट्टाधारको से खनिज न्यास निधि की राशि ₹23.65 लाख की वसूली ना किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औधोगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1561/VII-1/80-ख/2016 दिनाँक 30 सितम्बर 2016 के बिन्दु-17 के अनुसार निगम चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम॰ओ॰यू॰ हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान प्रारम्भ करेंगे। बिन्दु 8(क) के अनुसार राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु पट्टे वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम॰एम॰-1 में निर्धारित आवेदन शुल्क आवेदन करने के उपरान्त तथा ई॰आई॰ए॰ नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति व अन्य वांछित अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत किये जाएँगे। नीति के बिन्दु-14 के अनुसार "चुगान पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र का वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) का आंगणन चुगान क्षेत्रों हेतु रैपिड सर्वे द्वारा आंगणित मात्रा की 50% मात्रा पर देय रॉयल्टी की धनराशि वार्षिक अपरिहार्य भाटक/पट्टा धनराशि के रूप में आंगणित की जायेगी, जिसे निगम एवं निजी पट्टा धारकों द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराना अनिवार्य होगा। बिन्दु-16 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक या रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान समयान्तर्गत न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम-58 के अनुसार बकाया धनराशि पर वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा। बिन्दु-17 के अनुसार निगम चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम॰ओ॰यू॰ हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उप-खनिज का चुगान प्रारम्भ करेंगे।

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14(3) के अन्तर्गत बालू, बजरी, बोल्डर या इनमे से जो भी मिली-जुली अवस्था में हो हेतु स्वीकृत खनन/चुगान पट्टे के लिये वार्षिक पट्टा-धनराशि लिये जाने का प्रावधान किया गया है। नियमावली के अध्याय-V के अन्तर्गत नियम-31(1) के अनुसार: प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हे इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा। नियम-34(1) के अनुसार सिवाय उस दशा में जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा-विलेख के निष्पादन के दिनाँक से छः मास के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायिक (intermission) किए बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से करेगा। नियम-58 के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की

सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने की दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें। यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनाँक के 15 दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा। नियम-58(2) के अनुसार उपनियम-1 के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क या और किन्ही अन्य देयों पर 24% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 842/VII-1/2016/24-ख/2007, दिनाँक 19.05.2016 के अनुसार "हरिद्वार व अन्य स्थानों" में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो तो रॉयल्टी की दर ₹ 154/- प्रति घन मीटर अर्थात ₹ 7.00 प्रति कुंतल निर्धारित की गयी थी।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1689/VII-1/80-ख/2016 दिनाँक 28 अक्टूबर 2016 के बिन्दु-3 के अनुसार रॉयल्टी, स्टाम्प शुल्क (रॉयल्टी का 2%), रिवर ट्रेनिंग (रॉयल्टी का 15%), विकास शुल्क (रॉयल्टी का 10 प्रतिशत), क्षतिपूर्ति (रॉयल्टी का 15%) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रदत्त निर्देशानुसार संशोधित धनराशि जमा की जायेगी। पुनः औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1998/VII-1/2018/80-ख/16 दिनाँक 14 फरवरी 2018 द्वारा उपखनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी नाप भूमि में निर्धारित दर/शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया:

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क: रॉयल्टी का 2%
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान: रॉयल्टी का 25%
(iv) क्षतिपूर्ति: रॉयल्टी का 15%

(क) गढ़वाल मंडल विकास निगम को जनपद देहरादून के कोल्हू पानी में 3.963 हैक्टेयर भूमि पर उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान के लिए 05 वर्षो की अवधि हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया था जिस पर इकाई से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. हस्ताक्षर के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जाँच में पाया गया कि कार्यालय/ इकाई में GMVN category के अन्तर्गत राजस्व चुगान लॉट आर्केडिया 3/9 पट्टाधारक सतीश कुमार गुप्ता विजय पुर, अनारवाला, गढ़ी कैंट जिला-देहरादून को स्वीकृत खनन क्षेत्र की समयावधि निर्धारित अवधि 27 दिसम्बर 2019 से 30

जून 2020 तक के लिए स्वीकृत राजस्व चुगान लॉट क्षेत्रफल 3.96 है0 एवं निर्धारित क्षमता 96000 टन पर आवंटित किया गया था। पट्टाधारक/ लॉट संचालक द्वारा निर्धारित अवधि में कुल निर्धारित/स्वीकृत क्षमता 96000 टन खनिज का खनन करना अनिवार्य था जिस के सापेक्ष royalty राशि ₹7862400/- का भुगतान शासन को करना था। परन्तु जांच में पाया गया कि कुल निर्धारित क्षमता 96000 टन के सापेक्ष केवल 33609.21 टन ही खनिज खनन किया अर्थात 62390.79 टन कम खनन किया जिसके फलस्वरूप पट्टाधारक/ लॉट संचालक द्वारा royalty राशि ₹ 5109389/ कम जमा की गई जो कि शासन को राजस्व की क्षति थी ।

इस प्रकार उक्त शासनादेशो/ नियमो के अनुसार पट्टाधारक/ लॉट संचालक से अवशेष royalty राशि ₹ 5109389/- तथा उक्त नियमो के अनुसार ही जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान: (रॉयल्टी का 25%) अवशेष रायल्टी राशि का 25 प्रतिशत की दर से खनिज न्यास ₹ 1277347/- सहित कुल धनराशि 6386736/- (₹5109389 + ₹1277347) की वसूली की जानी थीं लेकिन लेखा परीक्षा तिथि तक नही की गयी थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रकरण में आगणित रॉयल्टी कर आदि जमा के सम्बन्ध में पट्टाधारक मैंसर्स GMVN से पत्राचार किया जाएगा । प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा ।

(ख) गढ़वाल मंडल विकास निगम को जनपद देहरादून के सदर क्षेत्र में क्षेत्रफल 11.10 हैक्टेयर भूमि पर उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान के लिए 05 वर्षो की अवधि हेतु पट्टा स्वीकृत किया था जिस पर इकाई से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. हस्ताक्षर के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय/ इकाई में GMVN category के अन्तर्गत पट्टाधारक, विकेश कुमार अग्रवाल को निर्धारित अवधि 28 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के लिए स्वीकृत राजस्व चुगान लॉट क्षेत्रफल 11.10 है0 एवं निर्धारित क्षमता 85000 टन पर आवंटित किया गया था। पट्टाधारक/ लॉट संचालक द्वारा निर्धारित अवधि में कुल निर्धारित/स्वीकृत क्षमता 85000 टन खनिज का खनन करना अनिवार्य था जिस के सापेक्ष royalty राशि ₹ 6961500/- का भुगतान शासन को करना था । परन्तु जांच में पाया गया कि कुल निर्धारित क्षमता 85000 टन के सापेक्ष केवल 31807.78 टन ही खनन कर पाया अर्थात 53192.22 टन कम खनन किया जिसके फलस्वरूप पट्टाधारक/लॉट संचालक द्वारा royalty राशि ₹4355769/- कम जमा की गई जो कि शासन को राजस्व की क्षति थी ।

इस प्रकार उक्त शासनादेशो/ नियमो के अनुसार पट्टाधारक/ लॉट संचालक से अवशेष royalty राशि ₹ 4355769/- तथा उक्त नियमो के अनुसार ही जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान: (रॉयल्टी का 25%) अवशेष रायल्टी राशि का 25 प्रतिशत की दर से खनिज न्यास ₹ 1088942/- सहित कुल धनराशि

5444711/- (₹4355769 + ₹1088942) की वसूली की जानी थीं लेकिन लेखा परीक्षा तिथि तक नही की गयी थी ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि आगणित रॉयल्टी, कर आदि के सम्बन्ध में पट्टाधारक मैसर्स GMVN से पत्राचार कर अभिलेख मंगाए जायेंगे । प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण कर ने के पश्चात प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा को उत्तर प्रेषित कर दिया जाएगा ।

अत: खनिज की निर्धारित मात्रा से कम निकासी के कारण ₹94.64 लाख की राजस्व क्षति एवं पट्टाधारको से खनिज न्यास निधि की राशि ₹23.65 लाख की वसूली ना किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-3: निर्माण इकाइयों द्वारा अवैध खनन करने के बावजूद अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना ₹12.41 करोड़।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू,बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जन पद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली,2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा। सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹5000/- व चुगान पट्टे हेतु ₹100000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ताकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2019-20 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया था। जबकि 13 निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में **₹3,10,24,801/-** जमा किया गया था (सूची संलग्न)। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण निर्माण इकाईयों द्वारा उपखनिजो का अवैध खनन, कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था जिससे राजस्व हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा की गयी थी। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर,2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान है। परन्तु खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण शासन को ₹124099204.00 (**3,10,24,801**x5=15,51,24,005 - 3,10,24,801) की हानि हुई।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में कार्यरत कुल 21 निर्माण इकाइयों में से आतिथि तक 13 इकाइयों की सूचना उपलब्ध करायी गयी। शेष 07 इकाइयों की भी सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराना लेखा परीक्षा को प्रतीक्षित रहेगा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि खनिज विभाग के वर्ष 2019-20 (जनवरी 20 तक) में अन्य स्रोतो से प्राप्त रॉयल्टी (ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग आदि) रु॰ 26,08,58,299.00 थी। उक्त रॉयल्टी निर्माण इकाइयों द्वारा बिना e-form एम एम-'11' एवं e-form 'जे' के प्राप्त नहीं होने पर जमा कराया गया है। अतः उपरवर्णित नियमों के अंतर्गत रॉयल्टी का 5 गुना अर्थदण्ड अवैध परिवहन के अनुसार प्रति वाहन पर अर्थदण्ड तथा अवैध खनन पर प्रति वाहन अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूला जाना चाहिए था जो कि कार्यालय द्वारा वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे राजस्व की हानि हुई।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर अपने उत्तर में बताया कि इस संबंध में समस्त कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही से कार्यालय प्रधान महालेखाकार परीक्षा की अवगत कराया जाएगा।

अत: नियमावली/ नीति के प्रावधानानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹12.41करोड़ की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण इकाइयों द्वारा अदा की गयी रायल्टी की सूची

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी धनराशि (₹ में)
1	अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड (सिंचाई) यमुना कालोनी, देहरादून	1,72,809
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, देहरादून	71,12,178
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी, देहरादून	14,57,107
4	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), देहरादून	32,48,040
5	अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड यमुना कालोनी, देहरादून	10,51,905
6	अधिशासी अभियंता, टयूंब वेल खण्ड, देहरादून	6,06,968
7	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, देहरादून	59,08,319
8	अधिशासी अभियंता, पेयजल निर्माण निगम, देहरादून	6,90,131
9	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, देहरादून	26,33,387
10	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला, देहरादून	5,60,422
11	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, देहरादून	10,05,480
12	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, विकासनगर	34,28,987
13	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, ऋषिकेश	31,79,068
	योग	**3,10,24,801**

इकाईयाँ जिनके द्वारा रॉयल्टी प्राप्ति के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम
1	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, पी0डब्लू0डी, सहिया
2	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, पी0डब्लू0डी, चकराता
3	अधिशासी अभियंता, एशियन विकास बैंक खंड, देहरादून
4	अधिशासी अभियंता, PMGSY खंड, कालसी
5	अधिशासी अभियंता, PMGSY खंड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
6	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अंबारी
7	अधिशासी अभियंता, लघु डाल खंड, देहरादून

<u>भाग 2 "अ"</u>

प्रस्तर-4 निजी पट्टाधारक द्वारा उपखनिज की निर्धारित मात्रा से कम निकासी किये जाने के परिणामस्वरूप रॉयल्टी के रूप में ₹ 102.43 लाख राजस्व की क्षति एवं पट्टाधारक से ₹25.60 लाख जिला खनिज फाउंडेशन सम्बन्धी अंशदान तथा ₹ 8.13 लाख ब्याज की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1561/VII-1/80-ख/2016 दिनाँक 30 सितम्बर 2016 के बिन्दु-17 के अनुसार निगम चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम॰ओ॰यू॰ हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान प्रारम्भ करेंगे। बिन्दु 8(क) के अनुसार राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु पट्टे वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रपत्र एम॰एम॰-1 में निर्धारित आवेदन शुल्क आवेदन करने के उपरान्त तथा ई॰आई॰ए॰ नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति व अन्य वांछित अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत किये जाएँगे। नीति के बिन्दु-14 के अनुसार "चुगान पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र का वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) का आंगणन चुगान क्षेत्रों हेतु रैपिड सर्वे द्वारा आंगणित मात्रा की 50% मात्रा पर देय रॉयल्टी की धनराशि वार्षिक अपरिहार्य भाटक/पट्टा धनराशि के रूप में आंगणित की जायेगी, जिसे निगम एवं निजी पट्टा धारकों द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराना अनिवार्य होगा। बिन्दु-16 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/ अपरिहार्य भाटक या रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान समयान्तर्गत न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम-58 के अनुसार बकाया धनराशि पर वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा। बिन्दु-17 के अनुसार निगम चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम॰ओ॰यू॰ हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उप-खनिज का चुगान प्रारम्भ करेंगे।

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14(3) के अन्तर्गत बालू, बजरी, बोल्डर या इनमे से जो भी मिली-जुली अवस्था में हो हेतु स्वीकृत खनन/ चुगान पट्टे के लिये वार्षिक पट्टा-धनराशि लिये जाने का प्रावधान किया गया है। नियमावली के अध्याय-V के अन्तर्गत नियम-31(1) के अनुसार: प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हे इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा। नियम-34(1) के अनुसार सिवाय उस दशा में जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा-विलेख के

निष्पादन के दिनाँक से छः मास के भीतर खनन संक्रियाएँ प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायिक (intermission) किए बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से करेगा। नियम-58 के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने की दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें। यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनाँक के 15 दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा। नियम-58(2) के अनुसार उपनियम-1 के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क या और किन्ही अन्य देयों पर 24% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 842/VII-1/2016/24-ख/2007, दिनाँक 19.05.2016 के अनुसार "हरिद्वार व अन्य स्थानों" में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो तो रॉयल्टी की दर ₹ 154/- प्रति घन मीटर अर्थात ₹ 7.00 प्रति कुंतल निर्धारित की गयी थी।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1689/VII-1/80-ख/2016 दिनाँक 28 अक्टूबर 2016 के बिन्दु-3 के अनुसार रॉयल्टी, स्टाम्प शुल्क (रॉयल्टी का 2%), रिवर ट्रेनिंग (रॉयल्टी का 15%), विकास शुल्क (रॉयल्टी का 10 प्रतिशत), क्षतिपूर्ति (रॉयल्टी का 15%) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रदत्त निर्देशानुसार संशोधित धनराशि जमा की जायेगी। पुनः औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1998/VII-1/2018/80-ख/16 दिनाँक 14 फरवरी 2018 द्वारा उपखनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी नाप भूमि में निर्धारित दर/ शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया:

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क: रॉयल्टी का 2%
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान: रॉयल्टी का 25%
(iv) क्षतिपूर्ति: रॉयल्टी का 15%

सम्बंधित पत्रावली की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय/ इकाई द्वारा श्री अक्षय भट्ट एंड एसोसिएट निवासी 6/26 आंशीर्वाद एन्क्लेव को दिनाक 18 मई 2017 के कार्यदेश के माध्यम से जिला देहरादून तहसील कालसी ग्राम जोक्ला खसरा संख्या 57 एवं 58 कुल भूमि 3.80 हैक्टेयर खनन हेतु स्वीकृत किया गया गया था। खनन पट्टा समझौता ज्ञापन के माध्यम से हस्ताक्षरित था जिसकी शर्तो के अनुसार खनन 5 वर्षो के लिए था। पट्टाधारक को प्रतिवर्ष 125070 टन खनिज का खनन किया जाना था तथा प्रतिवर्ष ₹10243233/- रॉयल्टी के रूप में राजस्व को जमा किया जाना था । समझोता ज्ञापन

के अनुसार प्रति वर्ष अवशेष रॉयल्टी के समय पर भुगतान न किये जाने पर अवशेष रॉयल्टी पर तथा अन्य देयो पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज पट्टाधारक से वसूल किया जाना था ।

आगे जांच में पाया गया कि दिनांक 02.06.2018 से 03.06.2019 के मध्य अवधि में पट्टाधारक के विरुद्ध ₹10243233/- अवशेष थी जिसे वसूल नहीं किया गया था साथ ही अवशेष पर अन्य देय यथा खनिज न्यास निधि की राशि ₹2560808/- (अवशेष रॉयल्टी का 25 प्रतिशत) और इस प्रकार कुल राशि ₹12804041/- (10243233+ 2560808) एवं समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय पर 24 प्रतिशत ब्याज की दर से (23.1.21 -लेखा परीक्षा तिथि तक) ₹ 813225/- ब्याज भी देय है जिसे भी पट्टाधारक से वसूल किया जाना है ।

उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा पट्टा स्वीकृति की तिथि से प्रत्येक वर्ष/ Span के लिए निर्धारित निकासी के सापेक्ष कितना कितना खनन किया गया एवं पट्टाधारक की तरफ कम निकासी के कारण पट्टाधारक द्वारा शासन को कितना देय था यह अभिलेखों से स्पष्ट नहीं था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि पट्टाधारक द्वारा कम जमा की गयी रॉयल्टी की धनराशि के संबंध में इस कार्यालय द्वारा तत्कालीन अधिकारी व मेरे द्वारा वसूल किये जाने हेतु पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया । जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित नोटिस के क्रम में पट्टाधारक द्वारा मा0 आयुक्त गढ़वाल द्वारा रिकवरी डिमांड पर स्थगन आदेश पारित करते हुए अवर न्यायालय में सुनवाई के उपरान्त गुणदोष पर आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा की आपत्ति की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है कि पट्टाधारक द्वारा कम रॉयल्टी जमा किया की गयी है तथा लेखा परीक्षा तिथी तक रिकवरी नहीं हुई थी। आगे, निजी पट्टाधारक से कुल कितनी रॉयल्टी ली जानी है एवं प्रचलित शासनादेशो के प्रावधान के अनुसार कितना ब्याज लिया जाना है इस पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-05: जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास निधि न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `55.35 लाख एवं जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास निधि, स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति न लिए जाने के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति `1.24करोड़।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1, संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16 देहरादूनः दिनांक 17 नवम्बर 2017, अधिसूचना, प्रकीर्ण द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017 के नियम बिन्दु 10–न्यास निधि हेतु अंशदान के नियम (2)– गौण खनिजों के मामले में 2–के अन्तर्गत नियम 5 अर्थात नियम 10 (2) 5 के अनुसारः– सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या :शासनादेश संख्या: 1998/VII-1/2018/80-ख/16 दिनाँक 14.02.2018 के अनुसार विभिन्न शुल्कों की संशोधित दरें निम्नवत थी:

(i) रॉयल्टी

(ii) स्टाम्प शुल्क- रॉयल्टी का 2%

(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान- रॉयल्टी का 25%

(iv) क्षति पूर्ति- रॉयल्टी का 15%

उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 69 एवं उत्तराखंड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, दिनांक 30 सितम्बर 2016 के प्रावधान 15 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/उपरिहार्य भाटक की धनराशि का भुगतान निर्धारित लेखाशीर्ष में पट्टा बिलेख में निर्धारित मासिक किश्तो में निर्धारित समयांतर्गत किया जाएगा एवं16 केअनुसार निर्धारित समयांतर्गत जमा न करने पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

(क) कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक श्री सुनीत पाल अग्रवाल पुत्र श्री धर्मपाल अग्रवाल निवासी 3/3 रेसकोर्स देहरादून के पक्ष में तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खुशहालपुर में 4.743 है0 क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि दिनांक 16-1-2015 से 15-1-2020 तक है, पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र से वार्षिकी निकासी की मात्रा 1,35,176 टन निर्धारित था। उक्त पट्टाधारक की खनन अवधि दिनांक 15-1-20 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा दिनांक 16-1-2018 से 15-1-2020 के मध्य चतुर्थ एवं पंचम वर्ष हेतु प्रत्येक खनन सत्र हेतु ई-रवन्ना हेतु आगणित उपखनिज की मात्रा कुल रु॰ 1,10,70,914 (135176 टन x रॉयल्टी रु॰70+ स्टांप शुल्क- रॉयल्टी का 2प्रतिशत + क्षतिपूर्ति-रॉयल्टी का 15

प्रतिशत) थी। उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा प्रत्येक खनन सत्र हेतु जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास में अंशदान खाता संख्या 37317816381 में रॉयल्टी का 25 प्रतिशत- रु॰ 27,67,729.00 पृथक से जमा किया जाना अपेक्षित था, इस प्रकार उक्त दो सत्रों हेतु कुल रु॰ 55, 35,458 (27,67,729x2) जमा किया जाना अपेक्षित था, जिसको जमा किये जाने का कोई विवरण अभिलेखो में उपलब्ध नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये उपरोक्त पट्टाधारक से संबन्धित अभिलेखों से पता चलता है कि पट्टाधारक द्वारा चतुर्थ खनन सत्र हेतु न्यास निधि की धनराशि नहीं जमा कराई गयी है जबकि पंचम खनन सत्र की पूर्ण धनराशि जमा कराई गई है का सम्पूर्ण बैंक खाता जमा रसीद या उसका विवरण प्रस्तुत अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया की इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय के खनन पटल सहायक को अवगत कराते हुए सूचना एवं कृत कार्यवाही कार्यालय प्रधान महालेखाकर लेखापरीक्षा को उत्तर प्रेषित कर दी जाएगी।

(ख) कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सरकारी निर्माण इकाइयों के द्वारा सीधे जमा किए गए रॉयल्टी के विवरण की मांग किए जाने पर 13 इकाइयों का विवरण उपलब्ध कराया गया, के अनुसार कुल रॉयल्टी **रू0 3,10,24,801.00** सीधे जमा की गई थी, का 40 प्रतिशत धनराशि रू0 1,24,09,920.40 (3,10,24,801x40%) जमा किया जाना अपेक्षित था, (विवरण संलग्न) जिसको जमा किया जाने का कोई विवरण अभिलेखो में उपलब्ध नहीं है।
विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर अपने उत्तर में बताया कि इस संबंध में समस्त कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही से कार्यालय प्रधान महालेखाकार परीक्षा की अवगत कराया जाएगा।

अत: जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास निधि न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति रू0 55.35 लाख एवं जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास निधि, स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति न लिए जाने के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति रू0 1.24करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण इकाइयों द्वारा अदा की गयी रायल्टी की सूची

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी धनराशि (₹ में)
1	अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड (सिंचाई) यमुना कालोनी, देहरादून	1,72,809
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, देहरादून	71,12,178
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी, देहरादून	14,57,107
4	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), देहरादून	32,48,040
5	अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड यमुना कालोनी, देहरादून	10,51,905
6	अधिशासी अभियंता, टयूंब वेल खण्ड, देहरादून	6,06,968
7	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, देहरादून	59,08,319
8	अधिशासी अभियंता, पेयजल निर्माण निगम, देहरादून	6,90,131
9	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, देहरादून	26,33,387
10	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला, देहरादून	5,60,422
11	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, देहरादून	10,05,480
12	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, विकासनगर	34,28,987
13	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड पी0डब्लू0डी0, ऋषिकेश	31,79,068
	योग	**3,10,24,801**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:-01 उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सचल दलों का गठन नहीं किया जाना।

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन पत्रांक 1747/VII-1-10/198-ख/207 दिनांक 12 जुलाई 2010 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम, बाजार में खनिजों के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ड्रिलिंग कर्मचारियों तथा फील्ड परिचर आदि को खनिज मोहरिर केसाथ सम्मिलित करते हुए राजकीय वाहन सहित खान अधिकारी/खान निरीक्षक के नेतृत्व में सचल दलों का गठन करने के निर्देश दिये गए थे।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा वर्तमान तक देहरादून में किसी सचल दल का गठन नहीं किया गया है।

सचल दल गठन न होने के कारण जिले में अवैध खनन, परिवहन, एवं भंडारण का व्यवसाय होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे शासन को राजस्व क्षति हो रही है।

उल्लेखनीय है कि देहरादून जिला विकासशील है, बहुत अधिक मात्रा में निरन्तर निर्माण कार्य चल रहा है तथा बहुमंजिला इमारतें भी निरन्तर बन रही है।

उक्त शासनादेश के क्रम में सचल दल का गठन किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन विभाग द्वारा सचल दल का गठन न किया जाना राजस्व प्राप्ति के प्रति उदासीनता का घोतक है।

विभाग के संज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि सचल दल का गठन नहीं हुआ है तथापि फिल्ड में तहसील स्तर पर आवंटित खनिज मोहरिरों द्वारा समय समय पर राजस्व विभाग के साथ अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की जांच की जाती है तथा पकड़े जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। इस संबंध में जी॰एस॰ टी॰ विभाग से पत्राचार किया जाएगा।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 **ब**

प्रस्तर **–2** `**90 करोड़ वार्षिक** लक्ष्य के सापेक्ष केवल 41.04 करोड की प्राप्ति **।**

अभिलेखों की जांच **के दौरान** विभागीय आय के तुलनात्मक विवरण की समीक्षा **में** स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये कुल आय का लक्ष्य ` 90 करोड रखा गया था। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष के दौरान **केवल** ` 41.04 करोड की उपलब्धि/प्राप्ति ही हो पायी थी जोकि कुल लक्ष्य का केवल 45..6 प्रतिशत था।

निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम उपलब्धि होने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि राजस्व भूमि में GMVN तथा वन भूमि में वन विकास निगम को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है तथा खनन लॉट आवंटित है। GMVN के मात्र 10 लॉट संचालित है और वन विकास निगम के खनन लॉट (कुल 05) माह मई 19 से FC ना होने से बन्द थे। साथ ही निजी नाप भूमि से मात्र 05 लॉट संचालित हुए जिस कारण लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि प्राप्त नहीं हुई ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वन विकास निगम, GMVN आदि को पट्टे निर्धारित शर्तो/ एम् ओ यु के आधार पर इकाई/विभाग द्वारा ही दिए जाते है जिनसे वसूली किया जाना इकाई की जिम्मेदारी है। साथ ही यदि पट्टे नहीं संचालित होते है/ किये जाते है, तो सम्बंधित से नियमानुसार डैड रेंट की वसूली की जानी चाहिए जो कि इकाई द्वारा नही की गयी थी जैसा कि लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट था ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 3- मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत न किया जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु 6.00 लाख |

शासनादेश संख्या: 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनाँक 19.11.2016 द्वारा प्रख्यापित "**उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट,मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडीमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016**" के अध्याय-V के बिन्दु 1(क) के अनुसार हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडीमिक्स प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट में पक्के माल का भंडारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा एक खनन सत्र हेतु भंडारण अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी। बिन्दु 1(ख) के अनुसार हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडीमिक्स प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर प्रतिमाह ₹ 50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि आशीर्वाद Interprises एवं स्क्रीनिंग प्लांट द्वारा वर्ष 2019-20 के 04/2019 से माह 03/2020 तक के प्रपत्र L प्रस्तुत नहीं किए गए जिस पर नियमानुसार 50000*12= रु 600000 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा कि प्लांट कि आंगणित धनराशि वसूल किए जाने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-4 स्क्रीनिंग प्लांटों द्वारा वार्षिक शुल्क रु 3.25 लाख बिना जमा किए अनियमित संचालन ।

उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 अध्याय-II के अनुसार मैदानी क्षेत्र हेतु स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना के लिए आवेदन शुल्क ₹2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रति घंटा तक) एवं ₹1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त) निर्धारित है। नीति के अध्याय-III के बिन्दु-1(1) के अनुसार स्क्रीनिंग प्लांट हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25% है।
कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून के अंतर्गत पंजीकृत स्क्रीनिंग प्लांट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि स्क्रीनिंग प्लांट द्वारा वर्ष 2019-20 के वार्षिक शुल्क रु 3.25 लाख नहीं जमा की गयी है नियमानुसार प्रत्येक स्क्रीनिंग प्लांट द्वारा अपनी स्थापना आवेदन शुल्क का 25% वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष जिला खान अधिकारी कार्यालय मे जमा की जानी चाहिए, तत्पश्चात स्क्रीनिंग प्लांट द्वारा संचालन किया जाना चाहिए ।

(रु में)

क्र. स.	प्लांट स्वामी	अवधि	क्षमता	पंजीकरण शुल्क	वार्षिक शुल्क(25 %)
1	अब्दुल हमीद विकाश बिष्ट डोईवाला, जिला देहरादून	03.08.2018 से 02.08.2023	80 टन/घंटा	2.00 लाख	50000
2	गुरुदीप सिंह महेंद्र सिंह विकासनगर, देहरादून	05.03.2018 से 04.03.2023	150 टन/घंटा	3.00 लाख	75000
3	गौरव स्क्रीनिंग प्लांट माजरीगरांत, देहरादून	01.02.2018 से 31.01.2023	80 टन/घंटा	2.00 लाख	50000
4	लक्ष्मी स्क्रीनेर्स राजपुर रोड देहरादून	08.07.2019 से 22.01.2024	1000 टन/घंटा	2.00 लाख	50000
5	आशीर्वाद स्क्रीनेर्स एण्ड स्क्रीनिंग प्लांट	15.11.2016 से 16.11.2021	100 टन/घंटा	2.00 लाख	50000
6	पद्म श्री स्क्रीनिंग प्लांट	05.10.2017 से 08.11.20121	100 टन/घंटा	2.00 लाख	50000
				योग	**325000**

उक्त के संबंध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा कि उक्त प्लांट स्वामियों को धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा तथा कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा |
प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
12/2016-17	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5
158/2017-18	1,2,3	1,2
47/2018-19	1,2,3,4,5,6	1,2
164/2019-20	1,2,3,4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखा परीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Nil				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
   (I) चयनित माह के चालन एवं CTR
   (II) ईंट भट्टो से संबन्धित पत्रावली
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री वीरेंद्र सिंह	जिला खान अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला खान अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (AMG-II) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II(Non-PSU)